तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहक... हुक्म ... में ...
23/10/19	वकील प्रार्थी व लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप० हैं। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हो चुकी है। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 31/10/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उप जिला कलेक्टर** **गंगापुर सिटी (स०मा०)**	
31/10/19	वकील प्रार्थी उप०। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 5/11/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5/11/19	वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) **उप जिला कलेक्टर** **गंगापुर सिटी (स०मा०)**	

निर्णय
कलेक्टर
मुकदमा
18/2019
1.ममता
2.मनीषा
लैण्ड हो
उपस्थित

न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
18/2019	18.7.2019	5.11.2019

1.ममता पुत्री शिवचरण, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
2.मनीषा पुत्री शिवचरण, माली निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी
——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ममता, मनीषा निवासी गंगाजी की कोठी तह0 गंगापुर सिटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 163/10 रकबा 0.07 है0, ख0न0 8 रकबा 0.44 है0, ख0न0 9 रकबा 0.19 है0, ख0न0 20 रकबा 0.33 है0, ख0न0 201/40 रकबा 0.11 है0, ख0न0 21 रकबा 1.00 है0 ग्राम बाढछाबा न0 2 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। इसमे राजस्व कर्मचारियो का भूलवश प्रार्थी संख्या 1 का नाम मन्टो व प्रार्थी संख्या 2 का नाम मन्नी दर्ज कर दिया है जबकि अन्य राजकीय व अर्द्धराजकीय दस्तावेजो मे प्रार्थीगण का नाम ममता व मनीषा अंकित है। इस गलती के कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि पर राज्य सरकार से देय सुविधाओ का लाभ नही उठा पा रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त भूमि मे प्रार्थीगण का नाम मन्टो की जगह ममता व मन्नी की जगह मनीषा दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 19, खाता संख्या 51, सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर बडौदा का प्रमाण पत्र दिनांक 22.5.19, फोटोकॉपी आधारकार्ड मनीषा माली, फोटोकॉपी अंकतालिका माध्यमिक परीक्षा 2016 मनीषा माली, फोटोकॉपी आधार कार्ड ममता माली, फोटोकॉपी माध्यमिक परीक्षा 2014 ममता माली प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2019/1878 दिनांक 23.9.2019 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण का नाम सही दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी का अवलोकन किया गया। फोटोकॉपी आधार कार्ड एवं अंकतालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार प्रार्थीगण का नाम ममता व मनीषा अंकित है। सरपंच द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार भी प्रार्थीगण का नाम ममता व मनीषा है। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खानपुर बडौदा की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 330 मे मनीषा व ममता पुत्री शिवचरण माली दर्ज है जो शुद्ध है। मन्टो का शुद्ध नाम ममता व मन्नी का शुद्ध नाम मनीषा है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख व रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी के अनुसार प्रार्थीगण अपना नाम उपरोक्त वर्णित भूमि मे सही कराने की अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बाढछाबा न0 2 की जमाबंदी सं0 2070 से 2073 के खाता संख्या 19 व 51 में दर्ज खातेदार मन्टो पुत्री शिवचरण, मन्नी पुत्री शिवचरण के स्थान पर ममता पुत्री शिवचरण व मनीषा पुत्री शिवचरण दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। खाता संख्या 19 व 51 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.15 12:08:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: